

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

..... बनाम
ओमप्रकाश राजेंद्रदास आदि

दावा बाबत :- 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 255/2021

निर्णय दिनांक :- 27-10-2021

वादी की ओर से वकील अक्षय कुमार वर्मा की व प्रतिवादी सं० 10117 की ओर से वकील पुष्पकान्त वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्रीमती मीना कुंवा के खाता सं० 123/123 के खसरा सं० 134/5 की 1.77 हे. खसरा सं० 265/2 की 1.390 हे. खसरा सं० 428/1 की 0.7555 हे. कुल 3.9165 हे. कारानी खातेदार प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रतिवादी सं० 1 के नाम कलमपान किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं० 2 का प्लॉट व हिस्सा बराबर के खातेदार का बंटकार बंटा हुआ है जो कि प्रतिवादी सं० 1 व 2 का नूने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 का पक्ष के लिये कर गृह्य कर लिया है इसलिए ल्याग किने गये हिस्से पर पूंजीपन विभागी को येम पूंजीपन मुक्त एवं ह्याम उयुय अयु करले व यह हिस्से मुक्ति के हक है तो खसरा सं० 1 के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड के अमल परांपद किया जाव/राजीनामा को डिक्री का मांग पठा जाव

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
प्र.गा. के संग अ.-2021
कैम्प मोहरा